



Neutral Citation No. -2026:AHC:16804

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3998 वर्ष 2025

राम सतन

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : इम्तियाज अली, पवन कुमार कुशवाहा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव तथा ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय को सुना गया।

2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है :-

“(1) परमादेश की प्रकृति में उपयुक्त रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/जिलाधिकारी, प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम सभा महुली, विकास खण्ड बहरिया, तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज के भू-राजस्व अभिलेखों में ‘आबादी’ के रूप में दर्ज, गाटा संख्या 917एम, क्षेत्रफल 1.6020 हेक्टेयर, जो प्रासंगिक राजस्व वर्गीकरण के अंतर्गत श्रेणी 6(2) की भूमि है, पर प्रतिवादी संख्या 6 से 9 (द्वितीय पक्ष के ग्रामवासियों) द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु विधि के अनुसार आवश्यक एवं उपयुक्त कदम उठाएं।

(ii) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/जिलाधिकारी, प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का, ग्राम सभा महुली, विकास खण्ड बहरिया, तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज के भू-राजस्व अभिलेखों में ‘आबादी’ के रूप में दर्ज, गाटा संख्या 917एम, क्षेत्रफल 1.6020 हेक्टेयर, जो प्रासंगिक राजस्व वर्गीकरण के अंतर्गत श्रेणी 6(2) की भूमि है, पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में, विधि के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय करें।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित भूखण्ड राजस्व अभिलेखों में आबादी (श्रेणी-6(2) श्रेणी का भूखण्ड) के रूप में दर्ज है, किन्तु ग्राम के निवासी विवादित भूखण्ड के उस भाग पर निर्माण कर रहे हैं जिसका उपयोग मार्ग के रूप में किया जा रहा है; अतः अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे प्रस्तुत लोकहित याचिका में की गई प्रार्थना के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करें।

4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

5. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि विवादित भूखण्ड राजस्व अभिलेखों में आबादी (श्रेणी-6(2) श्रेणी का भूखण्ड) के रूप में दर्ज है।

6. इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि विवादित भूखण्ड राजस्व अभिलेखों में आबादी (श्रेणी-6(2) श्रेणी का भूखण्ड) के रूप में दर्ज है, प्रस्तुत लोकहित याचिका विचारणीय नहीं है।

7. इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. तदनुसार, प्रस्तुत लोकहित याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 22, 2026

पी.एस.*

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।